

Annexure-I

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Jhalawar, Rajasthan

No. 9750

Date 12/3/17

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter no. 11 9/98-FC (pt.) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **120.4062 Hectares** for forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department** Executive Engineer Public Work Department Div. **Jhalawar** (Name of user agency) for construction of Airport work.

from **Extension of Kohana Air Strip** (purpose for diversion of forest land) in Jhalawar District falls within jurisdiction of **Kohana, Mandawar, Kherasi, Kherkhara, Bud Mandawar Bhanwariya**, village(s) in **Asnawar** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **120.4062 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sabhas, Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (i) to annexure (X).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl:- As above

Signature

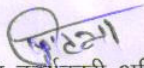


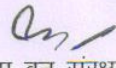
(Full name and official seal of the District Collector)

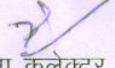
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति झालावाड़ की दिनांक 12/2/17 को दोपहर 2 बजे
आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 12/2/17 को दोपहर 2.00 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति झालावाड़ की बैठक आहूत की गई जिसमें उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, असनावर, द्वारा कोलाना हवाई पट्टी झालावाड़ के विकास एवं विस्तार से सम्बन्धित निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने हेतु प्राप्त दावा प्रकरणों का अवलोकन व परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है।

क्र.सं.	नाम कार्य मय ग्राम	ग्राम पंचायत	उपखण्ड क्षेत्र	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि
1	कोलाना हवाई पट्टी के विकास एवं विस्तार कार्य	कोलाना	असनावर	94.0132 हेक्टर
		मण्डावर	असनावर	26.3930 हेक्टर
		कुल		120.4062 हेक्टर


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड़

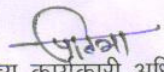

उप वन संरक्षक
झालावाड़


जिला कलेक्टर
झालावाड़

क्रमांक : वन अधिकारी अधिनियम/2015-16/586-93

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, झालावाड़
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़
3. उप खण्ड अधिकारी, असनावर,
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़
5. रक्षित पत्रावली


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद- झालावाड़

आज दिनांक 12/7/15

को उपर्युक्त राष्ट्रीय वनाधिकार तन्त्रिने की बैठक अहमदाबाद में हुई जिसमें ग्राम स्वस्थ वनाधिकार समिती से ग्राम क्षेत्र में करने वाली स्टाफ पटली विचारों के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या 1

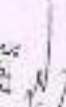
(1204062 के तहत)

जिसका ग्राम स्वस्थ समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपर्युक्त राष्ट्रीय समिती द्वारा

अनुमोदन कर जिसा राष्ट्रीय समिती हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत जन विधायी (जन अधिकारियों की नालगा) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत एक प्रस्तावित जन मूनि पर कोई दावे लखित नहीं है। अतः सर्वसम्मति से ऊपर स्टाफ पटली को तला प्रस्तावित जन मूनि में निर्माण हेतु अनिवार्य की जाती है।


जिला अधिकारी
राजस्थान सरकार

उपस्थित


जिला अधिकारी
राजस्थान सरकार
12-7-15


विकास अधिकारी
विकास अधिकारी
राजस्थान सरकार
नोट


जिला अधिकारी
राजस्थान सरकार
नोट

Annexure-V

आज निर्मांक 1 दि-7-16 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें मन क्षेत्र में आने वाली भूमि में हवाई पट्टी की योजना जो वन विभाग से जुड़ा रही है, वर्तमान में इसकी आवश्यकता के लिए हवाई पट्टी बनाना प्रस्तावित है। उक्त सर्व सगति से हवाई पट्टी के निर्माण में जिला भी सहयोग को वन क्षेत्र में हवाई पट्टी बनाने में कोई बाधा नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के एजिस्ट्रार में रखा जा रहा है तथा यह वन सभा में 50 सदस्यों से अधिक सदस्यों द्वारा समर्थित दर्ज कराई गई।


 ज.स. अ.स.प.स. (आवासीय)
 ज.स. अ.स.प.स. (आवासीय)


 ज.स. अ.स.प.स. (आवासीय)
 ज.स. अ.स.प.स. (आवासीय)

Annexure-I

Annexure-V

आज दिनांक 12-11-16 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें जन क्षेत्र में अपने दायी भूमि में हवाई पट्टी बनाई जानी है। जो इन विभाग से गुजर रही है, वर्तमान में इसकी आवश्यकता के लिए हवाई पट्टी बनाना प्रस्तावित है। अतः सर्व सम्मति से हवाई पट्टी के निर्माण में किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में हवाई पट्टी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के सचिवद्वारा 10/11/16 पर हस्ताक्षर है तथा ग्राम सभा में MC प्रस्थित से अधिकृत सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।


सदस्य
 ग्राम सभा अध्यक्ष (आजादाबाद)
 श्री. रा. शंकरलाल (आजादाबाद)


सचिव
 ग्राम सभा सचिव (आजादाबाद)
 श्री. रा. शंकरलाल (आजादाबाद)

Annexure-I

Annexure-V

आज दिनांक 19-7-2016 के आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली भूमि में हवाई पट्टी का निर्माण की योजना पर चर्चा हुई। इससे आवश्यकता के लिए हवाई पट्टी बनाना प्रस्तावित है। अतः सर्व सम्पत्ति से हवाई पट्टी के निर्माण में किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में हवाई पट्टी बनाने में कोई बाधा नहीं है। उक्त प्रस्ताव आम सभा के सचिव के द्वारा अग्रिम क्रम में प्रस्तुत है।

आदेशाचार्य
सचिव
राष्ट्रीय किसान संघ
कलकत्ता

सचिव
राष्ट्रीय किसान संघ
कलकत्ता

Annexure-I

श्रीमान श्रीमान राहुलजी कोशनावर
को इससेवा की पाठना में आज दिनांक 12-16 को
वन अधिकार समिति द्वारा हवाई पट्टी को वन
को वन भूमी के लिए उपजाऊ है इस कारण
श्री दिनेश मेखवाल को उपजाऊ में प्राप्त कर
कर आनोजन किया गया जिसमें किन उपजाऊ
होई कर्म का विषय एनए वन अधिकार समिति के सदस्यों
ने भाग लिया।

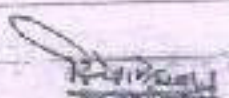
क्र.सं.	नाम/विवरण/अधिकारी	पट्ट	विभाग	हस्ताक्षर
1.	श्री दिनेश मेखवाल	रसपट्ट	विभाग	दिनेश मेखवाल
2.	श्री राजेश्वर दास	रसपट्ट	विभाग	राजेश्वर दास
3.	श्री इमर अकरा सुमन	रसपट्ट	विभाग	इमर अकरा सुमन
4.	श्री मेखवाल दिनेश दास	रसपट्ट	विभाग	मेखवाल दिनेश दास
5.	श्री सुधीर शर्मा	रसपट्ट	विभाग	सुधीर शर्मा
6.	श्री सत्यनाथ शर्मा नगर	रसपट्ट	विभाग	सत्यनाथ शर्मा नगर
7.	श्री राजेश्वर दास	रसपट्ट	विभाग	राजेश्वर दास
8.	श्री देवी लाल	रसपट्ट	विभाग	देवी लाल
9.	श्री राजेश्वर	रसपट्ट	विभाग	राजेश्वर
10.	श्री लाल राम	रसपट्ट	विभाग	लाल राम
11.	श्री राजेश्वर	रसपट्ट	विभाग	राजेश्वर
12.	श्री लाल राम	रसपट्ट	विभाग	लाल राम
13.	श्री लाल राम	रसपट्ट	विभाग	लाल राम
14.	श्री लाल राम	रसपट्ट	विभाग	लाल राम
15.	श्री लाल राम	रसपट्ट	विभाग	लाल राम
16.	श्री लाल राम	रसपट्ट	विभाग	लाल राम
17.	श्री लाल राम	रसपट्ट	विभाग	लाल राम
18.	श्री लाल राम	रसपट्ट	विभाग	लाल राम

पुनरावृत्ति - हवाई पट्टी निर्माण के लिये
वन भूमी में रहने वाली भूमी को निर्माण
के लिये उपजाऊ जमीन करने का कर्म।

गर्ह १.७। हेक्टर भूमी एवम् विचार के
 खाने वाली ४५.३०३२ हेक्टर भूमी के बारे में
 ग्राम समिति के विचार विमर्श किया गया
 बाद विचार विमर्श ग्राम समिति द्वारा

१.७। हेक्टर भूमी एवम् ४५.३०३२ हेक्टर भूमी
 १५.०१३२ हेक्टेरि हवाई पट्टी विकसित करने के लिए
 ग्राम समिति द्वारा सर्व सम्पत्ति से क्षतिग्रस्त की
 जारी की गई एवं इस भूमी पर सम्पत्ति भोक्ता
 राह प्राप्त नहीं हुआ है।

राम प्रसाद


 ग्राम पंचायत कोलाहा
 पं.स. कालराष्टन (ता.सावाड़)

७

 राम प्रसाद

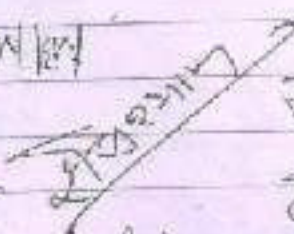
रवि कुमार

देवीलाल शर्मा व. वृ.म. २०२
 जयलाल शर्मा व. वृ.म. २०२
 मदनलाल शर्मा व. वृ.म. २०२
 लाललाल शर्मा व. वृ.म. २०२
 राजलाल शर्मा व. वृ.म. २०२
 नीला डेवा कुमर

अमेरिका

वृ. नीलाल

इन्दुलाल

 इन्दुलाल

मदनलाल

कंवरलाल

विजय शर्मा

कुमार

देवीलाल

 देवीलाल


 ग्राम पंचायत कोलाहा
 पं.स. कालराष्टन (ता.सावाड़)

सं. २०११/११
सदर
श्रीमान् पं. श्री. लालू

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

10/10/2020

सचिव
आ.प. मण्डल
म.प. आ.प. मण्डल

27
59/100

20/11/2018

1872

Small

5104.141

10/10/19

100

20/11/2015

२०१९-२०

१२-१२-१९

१२-१२-१९

१२-१२-१९

१२-१२-१९

१२-१२-१९

१२-१२-१९

१२-१२-१९

१२-१२-१९

१२-१२-१९

१२-१२-१९

१२-१२-१९

